रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112022-239987
CG-DL-E-02112022-239987

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944
No. 713] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

Image Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 801(अ).—प्रारूप नियम. अर्थात ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम. 2022 भारत सरकार द्वारा पर्यावरण. वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र. असाधारण. भाग II. धारा 3. उप-धारा (i) अधिसचना संख्या का.आ. 360 (प्र.), तारीख 19 मई, 2022 में प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी इनसे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको उक्त अधिसचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां 19 मई, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः विचार कर लिया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार. पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम. 1986 (1986 का 29) की धारा 6. 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम. 2016 के अधिक्रमण में. उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हो, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2023 की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना - ये नियम प्रत्येक निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के विनिर्माता, उत्पादक, रिफर्बिशर, भंजक और पुनः चक्राणकर्ता पर लागू होंगे, जो अनुसूची-I में सूचीबद्ध ई-कचरे या विद्युत (इलेक्ट्रिकल) और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण, बिक्री, अंतरण, खरीद, रिफर्बिशरसिंग, भंजक करके और पुनः चक्रण करने और प्रसंस्करण में सम्मिलित हैं, जिनमें उनके घटक, उपभोज्य, वस्तुएँ, पाट्र्स और पुर्जे सम्मिलित हैं, जो उत्पाद को संचालित करते हैं लेकिन निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे –

(क) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, 2022 के अधीन कवर की गई अपशिष्ट बैटरी;

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, 2016 के अधीन कवर की गई प्लास्टिक की पैकेजिंग;

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यम (सेवा क्षेत्र); और

(घ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अधीन और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन और यथा कवर किए गए रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) 'बड़े उपभोक्ता' से कोई भी ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसने विशिष्ट वित्तीय वर्ष में किसी भी समय अनुसूची-I में सूचीबद्ध कम-से-कम एक हजार विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की इकाइयों का उपयोग किया है और इसमें ई-रिटेलर भी सम्मिलित है;

(ग) 'कारबार' से अनुसूची-I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण, उत्पादन, संयोजन (असेंबलिंग) और आयात तथा ई-कचरे का नवीनीकरण, पुनर्चक्रण, निपटान और परिशोधन अभिप्रेत है;

(घ) 'घटक' से उप-संयोजन (असेंबलिंग) या संयोजन के उन हिस्सों एवं भागों में से एक अभिप्रेत है जिसमें सेएक विनिर्मित उत्पाद बना है और जिसमें इसे समाधित (रिज़ाल्ब्ड) किया जा सकता है और इसमें किसी अन्य घटक के लिए अतिरिक्त उपस्कर (एक्सेसरी) या संयोजन सम्मिलित है;

(ङ) 'उपभोज्य' वस्तु से एक ऐसी वस्तु अभिप्रेत है, जो एक विनिर्माण प्रक्रिया या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कामकाज में आती है या अपेक्षित है और अंतिम उत्पाद औरवस्तुओंका हिस्सा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ऐसी वस्तुएं, जो एक विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त रूप से या पूरी तरह से उपभोग की जाती हैं, को उपभोग्य समझा जाएगा;

(च) 'विघटनकर्ता' से ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो प्रयुक्त विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों को उनके घटकों में नष्ट करने में संलग्न हो और जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डया प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकार प्राप्त हो;

(छ) 'निपटान और परिशोधन' से कोई भी ऐसा संचालन (ऑपरेशन) अभिप्रेत है जो पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग), रिकवरी या पुनः उपयोग नहीं करता है या पुनः उपयोग का कारण नहीं बनता है और इसमें फिजियोकैमिकल या जैविक उपचार, भस्मीकरण और सुरक्षित लैंडफिल में उतारना या उलटना भी शामिल है;

(ज) उत्पाद के 'अवधि समाप्ति' से वह समय अभिप्रेत है जब उत्पाद को उपयोगकर्ता द्वारा त्यागने का आशय बन जाता है;

(झ) 'ई-अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन' से यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी कदम उठाना अभिप्रेत है कि ई-अपशिष्ट एवं कचरे का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाएगा, जो ऐसे ई-कचरे या अपशिष्ट के परिणामस्वरूप हो सकता है;

(ञ) 'इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण' से ऐसे उपकरणों अभिप्रेत है जो क्रियाशील एवं क्रियात्मक होने के लिए विद्युत प्रवाह या विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर हैं, और बिजली के उत्पादन, हस्तांतरण और माप के लिए उपकरण भी हैं;

(ट) 'फुटकर विक्रेता' से एक व्यक्ति या कंपनी या व्यावसायिक इकाई अभिप्रेत है, जो अपने माल को बेचने के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीफोन या किसी अन्य मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का उपयोग करती है;

(ठ) 'ई-अपशिष्ट' से सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या पैनल या सेल सहित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अभिप्रेत हैं, जो अपशिष्ट एवं कचरे के रूप में पूरे या आंशिक रूप से त्याग दिए गये हैं, साथ ही जिन्हें विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं से खारिज एवं अस्वीकार कर दिया जाता है;

(ड) 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' से अनुसूची-I में यथा दिए गए विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं उपस्करों के किसी भी विनिर्माता और उत्पादक की उत्तरदायी और जबाबदेही अभिप्रेत है, जो अनुसूची-III और अनुसूची-IVके अनुसार पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल ई-अपशिष्ट के पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से ऐसे अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए है;

(ढ) 'प्रसुविधा' से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसमें ई-अपशिष्ट के संग्रहण, स्वागत, भण्डारण, पृथक्करण, नवीनीकरण, पुनर्चक्रण, निपटान और उपचार के आनुषंगिक प्रक्रिया की जाती है;

(ण) 'ऐतिहासिक ई-अपशिष्ट' से अनुसूची-I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं उपस्करों से उत्पन्न ई-अपशिष्ट अभिप्रेत है, जो इन नियमों केलागूऔर प्रवृत्त होने की तारीख को उपलब्ध था;

(त) 'विनिर्माता' से एक व्यक्ति या इकाई या कंपनी अभिप्रेत है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित किया गया है या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) परिभाषित एक कारखाना या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित लघु और मध्यम उद्यमों से है, जिसमें अनुसूची-I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण की सुविधाएं विद्यमान हैं;

(थ) 'लावारिस उत्पादों' से गैर-ब्रांडेड या समुच्चय किए गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अभिप्रेत है जो अनुसूची-I में निर्दिष्ट हैं या किसी कंपनी द्वारा उत्पादित हैं, जिसने अपना संचालन बंद कर दिया है;

(द) 'भाग' से उप-समुच्चय या समुच्चय के ऐसे तत्व अभिप्रेत है जिसमें इसके घटक, पुर्जे या गौण शामिल हैं जो सामान्य रूप से स्वयं द्वारा उपयोगी नहीं होते हैं, और रखरखाव प्रयोजनों के लिए आगे विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं एक हिस्सा एक घटक, अतिरिक्त या एक सहायक हो सकता है;

(ध) 'पोर्टल' से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है;

(न) 'विनिर्माता' से कोई भी ऐसा व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है, जो-

(i) अपने स्वयं के ब्रांड के अधीन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों या पुर्जों का विनिर्माण और बिक्री के लिए प्रस्थापना करता है; या

(ii) अपने स्वयं के ब्रांड, समुच्चय किए गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या अन्य विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित पार्ट्स पुर्जों या कलपुर्जों को बिक्री के लिए प्रस्थापना करता है; या

(iii) आयातित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों, पार्ट्स या पुर्जों या कलपुर्जों को बिक्री के लिए प्रस्थापना करता है; या

(iv) जो प्रयुक्त विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात करता है;

बिक्री की तकनीक की परवाह किये बिना डीलर, रिटेलर, ई-रिटेलर, आदि के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

(प) 'पुनः चक्रणकर्ता' से ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य उपयोगी वसूली योग्य सामग्रियों सहित कीमती, अर्ध कीमती धातुओं की वसूली के लिए अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या असेंबली या उनके घटकों या उनके भागों के पुनर्चक्रण और पुनर्संसाधन में संलग्न है जिससे

द्वितीयक खट्टे पदार्थों को मजबूत किया जा सके और इस संबंध में बनाए गए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों में वर्णित सुविधाओं का उपयोग किया जा सके;

(फ) 'रिफर्बिशर' से अनुसूची-I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत या समुच्चय करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति या इकाई अपने मूल रूप से इच्छित जीवन पर अपने कामकाजी जीवन का विस्तार करने और मूल रूप से इच्छित उपयोग करने तथा बेचने के लिए बाजार में मौजूद समान अभिप्रेत है;

(ब) 'अनुसूची' से इन नियमों से जुड़ी अनुसूची अभिप्रेत है;

(भ) 'पुर्जों' से प्रतिस्थापन के लिए एक भाग या उप-समुच्चय (असेंबली) या समुच्चय (असेंबली) अभिप्रेत है जो एक समान या समान भाग या उप-समुच्चय या समुच्चय को बदलने के लिए तैयार होता है जिसमें एक घटक या एक एक्सेसरी शामिल हों; और

(म) 'लक्ष्य' से 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' की आपूर्ति में उत्पादक द्वारा रजिस्ट्री पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनर्चक्रित किए जाने वाले ई-अपशिष्ट की मात्रा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

अध्याय 2

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ढाँचा

4. रजिस्ट्री - (1) संस्थाएं पोर्टल पर निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में रजिस्ट्री होंगी, अर्थात्:-

(क) विनिर्माता;

(ख) उत्पादक;

(ग) रिफर्बिशर; या

(घ) पुनः चक्रणकर्ता;

(2) यदि कोई इकाई उप-नियम (1) के अधीन एक से अधिक श्रेणियों में आती है, तो इकाई उन श्रेणियों के अधीन अलग से रजिस्ट्री करेगी।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित एवं निर्दिष्ट कोई भी संस्था या इकाई रजिस्ट्री के बिना कोई व्यवसाय नहीं करेगी।

(4) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्री संस्थाएं किसी भी अरजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, उत्पादक, पुनर्चक्रणकर्ता (रिसाइकिलर) और नवीनीकरणकर्ता (रिफर्बिशर) के साथ कोई सौदा या व्यवसाय नहीं करेंगी।

(5) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था रजिस्ट्रीकरण या रिटर्न या रिपोर्ट या जानकारी प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी एवं सूचनाएं प्रस्तुत करती है या जानबूझकर छुपाती है जो इन नियमों के अधीन या किसी भी अनियमितता के मामले में, प्रदान/प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है, ऐसी इकाई का रजिस्ट्रीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद तीन वर्ष तक की अवधि रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में नियम 22 के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संचालन समिति के अनुमोदन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ई-अपशिष्ट की क्षमता के आधार पर इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाली संस्थाओं से ऐसा रजिस्ट्रीकरण शुल्क और वार्षिक रखरखाव प्रभार ले सकता है।

अध्याय 3

उत्तरदायित्व

5. विनिर्माता की उत्तरदायित्व - सभी विनिर्माताओं को, - (1) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराना होगा;

(2) किसी भी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न ई-कचरा और अपशिष्ट को एकत्र करना और उसके पुनर्चक्रण या निपटान एवं परिशोधन को सुनिश्चित करना;

IndiaCode

(3) पोर्टल पर अधिकतथि प्ररूप में वार्षिक और तिमाही विवरणी फाइल करें, तिमाही या वर्ष के बाद महीने के अंत में या उससे पहले, जैसा भी मामला हो, जिससे विवरणी संबंधित है।

6. **उत्पादक का उत्तरदायित्व –**अनुसूची-I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माता इसके लिए उत्तरदायी होंगे –

(1) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करने के लिए;

(2) पोर्टल के माध्यम से अनुसूची-IIIऔर अनुसूची-IVके अनुसार विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्यों को हासिल करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए;

परंतु कि पूर्ववर्ती ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना रखने वाला उत्पादक संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन नियमों के अधीन पलायन करेगा।

(3) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए;

(4) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर अधिकथित प्ररूप या प्रपत्र में वार्षिक और तिमाही विवरणी उस तिमाही या वर्ष के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले फाइल करने के लिए, जैसा भी मामला हो, जिससे विवरणी संबंधित है।

7. **नवीनीकरणकर्ता (रिफर्बिशर) का उत्तरदायित्व -** सभी नवीनीकरणकर्ताओं (रिफर्बिशर) को, -

(1) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराना होगा;

(2) नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ई-कचरे एवं अपशिष्ट को एकत्र करना और कचरे एवं अपशिष्ट को रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपना और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना;

(3) यह सुनिश्चित करना कि नवीनीकृत उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण योजना और इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार होंगे;

(4) पोर्टल पर अधिकथित प्ररूप में वार्षिक और तिमाही विवरणी फाइल करना, तिमाही या वर्ष के बाद महीने के अंत में या उससे पहले, जैसा भी मामला हो, जिससे विवरणी संबंधित है।

8. **बड़े उपभोक्ताओं (बल्ककंज्यूमर्स) का उत्तरदायित्व –**

अनुसूची-I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बड़े उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न किया गया ई-कचरा एवं अपशिष्ट केवल रजिस्ट्रीकृत उत्पादक, नवीनीकरणकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं को ही सौंपा जाऐगा।

9. **पुनर्चक्रणकर्ता का उत्तरदायित्व** – सभी-सभी पुनर्चक्रणकर्ताओं (रीसायकलर्स) को, -

(1) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराना होगा;

(2) इस बारे में, यह सुनिश्चित करना कि सुविधा और पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानकों या दिशानिर्देशों के अनुसार हैं;

(3) यह सुनिश्चित करना कि इसकी सुविधा में पुनर्नवीनीकरण नहीं किए गए अंशों या सामग्री को संबंधित रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है;

(4) सुनिश्चित करना कि पुनर्चक्रण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अवशेषों का निपटान एवं परिशोधन एक अधिकृत उपचार भंडारण निपटान सुविधा में किया जाता है;

(5) एकत्रित, विघटित, पुनर्चक्रित और रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता को भेजे गए अपशिष्ट के रिकॉर्ड को बनाए रखना और जब भी अपेक्षित हो सत्यापन/लेखापरीक्षा के लिए सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना;

(6) पोर्टल पर अधिकथित प्ररूप या प्रपत्र में वार्षिक और तिमाही विवरणी उस तिमाही या वर्ष के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले, जैसा भी मामला हो, फाइल करना, जिससे विवरणी संबंधित है।

IndiaCode

(7) अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या घटकों को पुनर्चक्रणहेतू स्वीकार करना, जो अनुसूची-I में सूचीबद्ध नहीं हैं, परंतु कि उनमें कोई रेडियोधर्मी सामग्री न हो और इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाए;

(8) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के ऐसेअन्य माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

(9) किसी भी गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य ई-कचरे एवं अपशिष्ट या किसी भी मात्रा के बारे में जानकारी एवं सूचनाओं का लेखा-जोखा अपलोडकरना जिसे पुनर्नवीनीकरण नहीं किया गया है और निपटाया नहीं गया है;

(10) पुनः चक्रण प्रयोजनों के लिए डिस्मेंटलर्स की मदद लेना:

यह पुनः चक्रणकर्ता का उत्तरदायित्व होगा कि वह उन डिस्मेंटलर्स से उचित सामग्री प्रवाह सुनिश्चित करे। डिस्मेंटलर केवल रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रणकर्ता को विघटित सामग्री देगा और उसी का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

10. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का उत्तरदायित्व – (1) यथास्थिति, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में उद्योग विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण विद्यमान और आगामी औद्योगिक पार्क, संपदा और औद्योगिक समूहों में ई-अपशिष्ट के निराकरण और पुनर्चक्रण के लिए औद्योगिक स्थान या शेड का निर्धारण या आबंटन सुनिश्चित करना;

(2) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में श्रम विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य सरकारी अधिकरण, जैसा भी मामला हो, निम्न कार्य करेगीः –

क) निराकरण और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण को सुनिश्चित करना;

ख) विघटन सुविधाओं के स्थापन को सुविधाजनक बनाने हेतू ऐसे कामगारों के समूहों के गठन में सहायता करना;

ग) विघटन, निराकरण और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास क्रियाकलापों को शुरू करना;

घ) वार्षिक निगरानी करना तथा विघटन एवं निराकरण और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना;

IndiaCode

अध्याय IV

11. ई-अपशिष्ट के भंडारण करने की प्रक्रिया - प्रत्येक निर्माता, निर्माता, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता ई-कचरे को एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए भंडारित कर सकते हैं और ई-अपशिष्ट की बिक्री, हस्तांतरण और भंडारण का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे और इन अभिलेखों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएंगे। और ई-कचरे का भंडारण तत्समय प्रवृत्त सुसंग लागू नियमों/या दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा:

परंतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त अवधि को तीन सौ पैंसठ दिनों तक बढ़ा सकता है यदि ई-कचरे को इसके पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग के लिए एक प्रक्रिया के विकास के लिए विशेष रूप से संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है।

अध्याय V

12. सौर फोटो-वोल्टाइकमॉड्यूल या पैनल या सेल का प्रबंधन-I - (1) ये नियम इस अध्याय के उपबंधों के अधीन सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल पर लागू होंगे;

(2) सौर फोटो-वोल्टाइकमॉड्यूल या पैनल या सेल के प्रत्येक विनिर्माता और निर्माताः

(i) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना;

(ii) इस संबंध में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2034-2035 तक उत्पन्न सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेलअपशिष्ट का भंडारण करना;

(iii) वर्ष 2034-2035 तक जिस वर्ष से विवरणी संबंधित है, उसके अंत में या उससे पहले पोर्टल पर अधिकथित प्ररूप में वार्षिक विवरणी फाइल करना;

(iv) सुनिश्चित करना कि सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट का प्रसंस्करण तत्समय प्रवृत्त संबंधित लागू नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार करना;

(v) सुनिश्चित करना कि सौर फोटो-वोल्टाइकमॉड्यूल या पैनल या सेलों की सूची पोर्टल पर स्पष्ट रूप से रखी जाएगी;

(vi) इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का पालन करना;

(3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सामग्री की वसूली के लिए सौर फोटो-वोल्टाइकमॉड्यूल या पैनल या सेलों के पुनर्चक्रण को अनिवार्य किया जाएगा;

अध्याय VI

13. विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व व्यवस्था के तौर-तरीके – (1) सभी उत्पादकों को अनुसूची-III और अनुसूची-IV के अनुसार अपने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्व को पूरा करेगा, ऐसा करने में वे तीसरे पक्ष के संगठनों जैसे उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों, संग्रह केंद्रों, डीलरों आदि की भी मदद ले सकते हैं।

बशर्ते, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्व पूरी तरह से केवल उत्पादक पर ही होगा।

(2) इस बारे में, प्रत्येक उत्पाद के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व का निर्धारण पोर्टल पर उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिदष्ट व्यक्तिगत उत्पाद की जीवन अवधि तथा अनुसूचीIII और अनुसूची-IV में निर्दिष्ट लक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

(3) (i) विनिर्माता केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से अपने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करेगा और तिमाही विवरणी फाइल करके इसे ऑनलाइन जमा करेगा।

(ii) प्रोड्यूसर्स और रजिस्टर्ड समुच्चय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण की क्रॉस-चेकिंग की जाऐगी।

(iii) कोई अंतर मिलता है तो किसी भी अंतर के मामले में, विनिर्माता के विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निम्न स्तर के आंकड़े पर विचार किया जाएगा।

(iv) प्रमाणपत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकरण द्वारा पर्यावरण लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

14. विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्वप्रमाण पत्र बनाना - (1) पुनर्चक्रण (रीसाइकिलिंग) (i) इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पोर्टल के माध्यम से एक रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के पक्ष में अधिकथित प्ररूप के अधीन एक विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार करेगा।

(ii) (क) विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र हेतू पात्र मात्रा की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगीःअर्थात्

$$* Q_{EPR} = Q_p \times C_f$$

*क्यूईपीआर (QEPR) प्रमाण पत्र के निर्माण के लिए योग्य मात्रा है, क्यूपी (Q_p) अंतिम उत्पाद की मात्रा है और सीएफ (C_f) रूपांतरण कारक है(आउटपुट की एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट की मात्रा।)

(ख) प्रत्येक अंतिम उत्पाद के लिए रूपांतरण कारक सीएफ (C_f) संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(iii) विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की वैधता उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष होगी जिसमें इसे बनाया गया थाऔर समय सीमा या अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रमाण पत्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है जब तक कि इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पहले समाप्त न हो जाए।

(iv) प्रत्येक विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र में एक विशिष्ट संख्या होगी जिसमें उत्पादन का वर्ष, अंतिम उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रणकोड और एक अद्वितीय कोड होगा और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र 100, 200, 500 और 1000 किलोग्राम या ऐसे अन्य मूल्य वर्गों में होंगे या संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित किए जा सकते हैं।

(2) नवीनीकरण (रिफर्बिशिंग) - (i) ई-कचरे को नवीनीकरण (रिफर्बिशिंग) करने के लिए भी अनुमति दी जाएगीऔरनवीनीकरणकर्ता को पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होना होगा और उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक रजिस्ट्रीकृत नवीनीकरणकर्ता के पक्ष में नवीनीकरण प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा।

(ii) रजिस्ट्रीकृत नवीनीकरणकर्ताओं (रिफर्बिशरों) से खरीदे गए नवीनीकरण प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने पर, उत्पादकों की विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को ई-कचरे एवं अपशिष्ट की संगत मात्रा के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक स्थगित कर दिया जाऐगा और नवीनीकृत उत्पाद के विस्तारित जीवन की समाप्ति पर निर्माता के विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व में जोड़ा जाएगा।

(iii) नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आस्थगित मात्रा का केवल 75 प्रतिशत, नवीनीकृत उत्पाद के विस्तारित जीवन की समाप्ति पर पुनर्चक्रण के लिए निर्माता के विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व में जोड़ा जाएगा।

उदाहरण: - यदि किसी निर्माता पर वर्ष 2023-2024 में 100 टन की विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्व है और वह 60 टन का पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र और 40 टन का नवीनीकरण प्रमाण पत्र खरीदता है, और संबंधित वस्तु ने नवीनीकरण के कारण पांच वर्ष का जीवन बढ़ाया है।

इस मामले में उत्पादक के विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व का 60 टन वर्ष 2023-2024 में ही प्राप्त कर लिया जाएगा और 40 टन यानी 30 टन के 75 प्रतिशत को उस मद के लिए वर्ष 2028-2029 के लिए उस उत्पादक के विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व में जोड़ा जाएगा।

(iv) विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व केवल एक रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से जीवन की समाप्ति के बाद और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही समाप्त किया जाऐगा, न कि नवीनीकरण प्रमाण पत्र द्वारा।

15. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का लेनदेन - (1) एक उत्पादक चालू वर्ष (वर्ष Y) की अपनी विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के साथ-साथ पिछले वर्षों की किसी भी बची हुई और शेष देयता और वर्तमान वर्ष की देयता के 5प्रतिशत तक सीमित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकता है।

(2) विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्व को उत्पादकों द्वारा तिमाही आधार पर आनुपातिक रूप से विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी प्रमाण पत्र खरीदकर पूरा करना होगा।

(3) जैसे ही निर्माता विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र खरीदता है, इसे स्वचालित रूप से उसकी देयता के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाएगा और समायोजन में प्राथमिकता पूर्व एवं पहले की देयता को ही दी जाऐगी और इस प्रकार समायोजित किया गया विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा और रद्द हो जाएगा।

(4) जैसे ही कोई निर्माता नवीनीकरण प्रमाण पत्र खरीदता है, उसकी विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व देयता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के लिए उत्पाद की प्रासंगिक मात्रा के लिए स्वचालित रूप से स्थगित कर दी जाएगी।

(5) प्रत्येक उत्पादक या पुनः चक्रणकर्ता या नवीनीकरणकर्ता (रिफर्बिशर) के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की उपलब्धता, आवश्यकता और अन्य विवरण एवं ब्यौरों तथा नवीनीकरण प्रमाणपत्र को पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(6) इन नियमों के अधीन सभी लेन-देन को तिमाही विवरणी फाइल करते समय विनिर्माता या पुनः चक्रणकर्ता द्वारा पोर्टल पर रिकॉर्ड और प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय VII

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या भागों या पुर्जों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी एवं कटौती

16. विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों या पुर्जों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी – (1) अनुसूची-I में सूचीबद्ध विद्युत (इलेक्ट्रिकल्स) और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पार्टों या कलपुर्जों का प्रत्येक उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि, नए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटक या उपभोज्य वस्तुओं या पार्ट्स या पुर्जे में सीसा, पारा, कैडमियम, हेक्सावलेंट क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल शामिल नहीं है जो सीसा के लिए समरूप सामग्री में वजन से 0.1 प्रतिशत की

अधिकतम एकाग्रता मूल्य से परे हैं, पारा, हेक्सावलेंट क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल और पॉलीब्रोमिनेटेड डिपेनिल ईथर और कैडमियम के लिए समरूप सामग्री में वजन के अनुसार 0.01 प्रतिशत है।

(2) तारीख 1 मई, 2014 से पहले बाजार में रखे गए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पार्टा या कलपुर्जों को उप-नियम (1) के उपबंधों से छूट दी जा सकती है, बशर्ते खतरनाक पदार्थों के अनुरूप भागों की कमी और पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं।

(3) अनुसूची-2 में सूचीबद्ध अनुप्रयोगों को उप-नियम (1) के उपबंधों से छूट दी जाएगी।

(4) अनुसूची-2 में सूचीबद्ध अनुप्रयोगों का प्रत्येक उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची-2 में दी गई खतरनाक पदार्थों की सीमाओं का अनुपालन किया जाना है।

(5) प्रत्येक उत्पादक उपकरण के घटकों और उनके घटकों या उपभोग्य वस्तुओं या पुर्जों या पुर्जों या पुर्जों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही उत्पाद उपयोगकर्ता प्रलेखन में खतरनाक पदार्थों के उपबंधों में कमी के अनुरूपता की घोषणा करेगा।

(6) नए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बाजार में आयात या प्लेसमेंट की अनुमति केवल उन लोगों के लिए होगी जो उप-नियम (1) और (4) के उपबंधों के अनुरूप हैं।

(7) रक्षा और अन्य समान सामरिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति को उप-नियम (1) के उपबंधों से बाहर रखा जाएगा।

(8) प्रत्येक उत्पादक उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुपालन करने पर जानकारी प्रदान करेगा और यह जानकारी स्व-घोषणा के संदर्भ में होगी।

(9) विनिर्माता प्रौद्योगिकीयाविधियों का उपयोग करेगा जिससे अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रण योग्य बनाया जा सके;

(10) विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा बनाए गए घटकया पुर्ज़े ई-कचरे या अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए एक-दूसरे के अनुकूल हों।

(11) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खतरनाक पदार्थों में कमी के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए बाजार में रखे गए बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के यादृच्छिक नमूने का संचालन एवं परिचालन करेगा और नमूने तथा परीक्षण करने की लागत विनिर्माता द्वारा वहन की जाएगीऔर इस संबंध में अचानक सैंपलिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगी।

(12) यदि उत्पाद खतरनाक पदार्थों में कमी के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, तो और इस संबंध में उत्पादक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित अवधि के भीतर उत्पाद को अनुपालन में लाने और बाजार से उत्पाद को वापस लेने या वापस करने के लिए सुधारात्मक उपाय करेंगे।

(13) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुसूची-I और अनुसूची-II में सूचीबद्ध वस्तुओं के संबंध में उप-नियम (1) में सूचीबद्ध खतरनाक पदार्थों के नमूने और विश्लेषण के तरीकों को प्रकाशित करेगा और कथित उद्देश्य के लिए प्रयोगशालाओं को भी सूचीबद्ध करेगा।

अध्याय VIII

विविध (प्रकीर्ण)

17. अधिकारियों के कर्तव्य - इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन, अधिकारी अनुसूची-V में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेंगे।

18. वार्षिक रिपोर्ट - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वित्तीय वर्ष के अंत के एक महीने के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण के साथ ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

19. ई-अपशिष्ट का परिवहन (ट्रांस्पोर्टेशन) - विनिर्माण या पुनर्चक्रण से उत्पन्न कचरे एवं अपशिष्ट का अंतिम निपटानएवं परिशोधन करने के लिए कचरे को उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा में ले जाने के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2016 के अधीन उपबंधों का पालन किया जाएगा।

IndiaCode

20. दुर्घटना की रिपोर्टिंग करना - जहाँ भी ई-कचरे और अपशिष्ट को संसाधित करने वाली सुविधा में या ई-कचरे के परिवहन के दौरान दुर्घटना होती है, यथास्थिति विनिर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता, परिवहनकर्ता, भंजक, या पुनर्चक्रणकर्ता, दुर्घटना के बारे में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तुरंत टेलीफोन और ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट करेगा।

21. अपील - (1) कोई भी व्यक्ति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्द करने या इनकार करने या उसके नवीकरण से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश को सूचित करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विधिवत नामित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव को अपील करने की वरीयता दे सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था तो वह तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है।

22. पर्यावरण क्षतिपूर्ति - (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यहाँ जारी इन नियमों और दिशानिर्देशों के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के मामले में किसी भी इकाई पर पर्यावरण क्षतिपूर्त के आरोपण और संग्रह करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और उक्त दिशानिर्देश इन नियमों के अनुसार होंगे और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों में अधिकथित दायित्वों की पूर्ति न करने और लेनदेन या झूठे विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के उपयोग के मामले में उत्पादकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आरोपण और संग्रह के लिए दिशा-निर्देश भी अधिकथित करेगा और उक्त दिशानिर्देश इन नियमों के अनुसार होंगे और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे।

(3) पर्यावरण क्षतिपूर्ति उन अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों, विनिर्माताओं, रिफर्बिशरों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और किसी भी इकाई पर भी लगाया जाऐगा जो इन नियमों के उल्लंघन करने में सहयोग, सहायता या प्रोत्साहन देते हैं।

(4) (i) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के भुगतान से उत्पादकों और विनिर्माताओं को इन नियमों में निर्धारित विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी और किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्व को अगले वर्ष और इसी तरह तीन वर्ष तक आगे बढ़ाया जाएगा।

(ii) यदि विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्व की कमी को एक वर्ष के बाद संबोधित किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 85 प्रतिशत उत्पादकों एवं निर्माताओं को वापस कर दिया जाएगा,

(iii) यदि विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्व की कमी को दो वर्ष के बाद संबोधित किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 60 प्रतिशत होगा जो निर्माताओं एवं उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा, और यदि विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के दायित्व की कमी को 3 वर्षों के बाद संबोधित किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 30 प्रतिशत उत्पादकों एवं निर्माताओं को वापस कर दिया जाएगा, उसके बाद निर्माता एवं उत्पादक को किसी भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति को वापस नहीं किया जाऐगा।

(5) गलत सूचना के कारण पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा विस्तारित उत्पादकों के उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण का निरसन और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण होगा जो वापस करने योग्य नहीं होगाऔर बार-बार अपराध, इन नियमों का तीन या अधिक बार उल्लंघन करने पर भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क के अलावा रजिस्ट्रीकरण का स्थायी निरसन होगा।

(6) (i) पर्यावरण क्षतिपूत के अंतर्गत एकत्र की गई निधियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पृथक निलंब लेख हिसाब में रखा जाएगा और एकत्र की गई निधियों का उपयोग संग्रहित, असंग्रहित, महत्त्वपूर्ण, लावारिस ई-अपशिष्ट और गैर-पुनर्नवीनीकरण या ई-अपशिष्ट का गैर-अंत, जिस पर पर्यावरण क्षतिपूत लगाया जाता है, अनुसंधान और विकास करने, पुनर्चक्रण करने वालो को प्रोत्साहन करने अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता और समिति द्वारा तय किए गए अन्य मदों में किया जाएगा।

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन के साथ संचालन समिति द्वारा धन के उपयोग के लिए निश्चय मात्रा और प्रमुखों पर निर्णय लिया जाएगा।

23. अभियोजन - कोई भी व्यक्ति, जो विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन नियमों के अधीन अपेक्षित गलत जानकारी प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे या जाली विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है या जानबूझकर इन नियमों के अधीन दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, उस पर अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अधीन अभियोजित किया जाएगा और यह अभियोजन नियम 22 के अधीन लगाए गए पर्यावरण क्षतिपूत के अतिरिक्त होगा।

24. सत्यापन और लेखा परीक्षा - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामित अभिकरण के माध्यम से उत्पादकों, निर्माताओं, नवीनीकरणकर्ताओं, डिस्मेंटलर्स और पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इन नियमों के अनुपालन को यादृच्छिक निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से जैसा भी उचित एवं न्यायसंगत समझेगा, सत्यापित करेगा जिससे लेने के लिए इन विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई नियम 22 के अनुसार होगी।

25. संचालन समिति - (1) इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी संचालन समिति में अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि;

ख) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि;

ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

घ) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

ङ) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्पादक और विनिर्माता संघ के अधिकतम दो प्रतिनिधि;

च) ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण संघों के अधिकतम दो प्रतिनिधि;

छ) संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा सहयोजित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि;

ज) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित प्रभाग के प्रमुख - सदस्य संयोजक।

(2) संचालन समिति इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और यह समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों, मतभेदों और इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर भी निर्णय लेगी, और इन नियमों से संबंधित याकिसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संदर्भित करेगी।

(3) संचालन समिति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से तकनीकी प्रगति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अनुसूची-I में दिये गये दिशानिर्देशों या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लक्ष्य या नए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने की समीक्षा और संशोधन करेगी।

(4) संचालन समिति ऐसे सभी उपाय करेगी जो वह इन नियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

अनुसूची-I

[देखें नियम 2, 3 (ख), 3 (ग), 3 (ड), 3 (ण), 3 (त), 3 (थ), 3 (फ), 6, 8, 10 (7), 16 (13)]

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की श्रेणियां जिनमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएं, भाग और पुर्जे शामिल हैं जो नियमों के अंतर्गत आते हैं।

क्रमांक	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की श्रेणियां	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोड
i.	**सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपकरण:**	
	सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग : मेनफ्रेम, मिनी कंप्यूटर	आईटीईडब्ल्यू1
	पर्सनल कंप्यूटिंग: पर्सनल कंप्यूटर (इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट)	आईटीईडब्ल्यू2
	पर्सनल कंप्यूटिंग: लैपटॉप कंप्यूटर (इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट)	आईटीईडब्ल्यू3

	पर्सनल कंप्यूटिंग: नोटबुक कंप्यूटर	आईटीईडब्ल्यू4
	पर्सनल कंप्यूटिंग: नोटपैड कंप्यूटर	आईटीईडब्ल्यू5
	कारतूस सहित प्रिंटर	आईटीईडब्ल्यू6
	कॉपी करने वाला उपकरण	आईटीईडब्ल्यू7
	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	आईटीईडब्ल्यू8
	उपयोगकर्ता टर्मिनल और सिस्टम	आईटीईडब्ल्यू9
	प्रतिकृति	आईटीईडब्ल्यू10
	टेलेक्स	आईटीईडब्ल्यू11
	टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू12
	सशुल्क टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू13
	तारारहित टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू14
	सेलुलर टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू15
	आंसरिंग सिस्टम	आईटीईडब्ल्यू16
	दूरसंचार द्वारा ध्वनि, चित्र या अन्य जानकारी प्रसारित करने के उत्पाद या उपकरण	आईटीईडब्ल्यू17
	बीटीएस (टॉवर की संरचना के अतिरिक्त सभी घटक)	आईटीईडब्ल्यू18
	टैबलेट, आई-पैड	आईटीईडब्ल्यू19
	फैबलेट	आईटीईडब्ल्यू20
	स्कैनर्स	आईटीईडब्ल्यू21
	राउटर्स	आईटीईडब्ल्यू22
	जीपीएस	आईटीईडब्ल्यू23
	यूपीएस	आईटीईडब्ल्यू24
	इंवर्टर	आईटीईडब्ल्यू25
	मोडेम	आईटीईडब्ल्यू26
	इलेक्ट्रॉनिक डेटा भंडारण उपकरण	आईटीईडब्ल्यू27
ii.	**उपभोक्ता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटो वोल्टिक पैनल:**	
	टेलीविजन सेट (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी पर आधारित सेट सहित)	सीईईडब्ल्यू1
	फ्रिज	सीईईडब्ल्यू2
	कपड़े धोने की मशीन	सीईईडब्ल्यू3
	सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग संयंत्रों से रहित एयर कंडीशनर	सीईईडब्ल्यू4
	फ्लोरोसेंट और अन्य पारा युक्त लैंप	सीईईडब्ल्यू5
	स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक फोटो फ्रेम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पैनल, मॉनिटर्स	सीईईडब्ल्यू6
	रेडियो सेट	सीईईडब्ल्यू7
	सेट टॉप बॉक्स	सीईईडब्ल्यू8
	वीडियो कैमरा	सीईईडब्ल्यू9

IndiaCode

	वीडियो रिकॉर्डर	सीईईडब्ल्यू10
	हाई-फाई रिकॉर्डर	सीईईडब्ल्यू11
	ऑडियो एम्पलीफायर	सीईईडब्ल्यू12
	दूरसंचार द्वारा ध्वनि और छवि के वितरण के लिए सिग्नल और अन्य तकनीकों सहित ध्वनिया छवियों को रिकॉर्ड करने या पुन: प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए अन्य उत्पाद या उपकरण।	सीईईडब्ल्यू13
	सोलरपैनल/सेल्स, सोलरफोटोवोल्टिकपैनल/सेल्स/मॉड्यूल।	सीईईडब्ल्यू14
	घरों में ल्यूमिनेयर्स/प्रकाशग्रह को छोड़कर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए ल्यूमिनेयर्स/प्रकाशग्रह	सीईईडब्ल्यू15
	उच्च तीव्रता वाले डिस्चार्ज लैंप, जिनमें दबाव वाले सोडियम लैंप और मेटल है लाइड लैंप शामिल हैं	सीईईडब्ल्यू16
	कम दबाव वाले सोडियम लैंप	सीईईडब्ल्यू17
	फिलामेंट बल्बों को छोड़कर प्रकाश को फैलाने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से अन्य प्रकाशन या उपकरण	सीईईडब्ल्यू18
	डिजिटल कैमरा	सीईईडब्ल्यू19
iii.	**बड़े और छोटे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण**	
	बड़े शीतलन उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू1
	फ्रीजर	एलएसईईडब्ल्यू2
	भोजन के प्रशीतन, संरक्षण और भंडारण के लिए प्रयुक्त अन्य बड़े उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू3
	कपड़े सुखाने वाला	एलएसईईडब्ल्यू4
	बर्तन धोने की मशीनें	एलएसईईडब्ल्यू5
	बिजली से चलने वाले कुकर	एलएसईईडब्ल्यू6
	बिजली से चलने वाले चूल्हे	एलएसईईडब्ल्यू7
	बिजली की हॉट प्लेट्स	एलएसईईडब्ल्यू8
	माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन	एलएसईईडब्ल्यू9
	खाना पकाने और भोजन के अन्य प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य बड़े उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू10
	इलेक्ट्रिक हीटिंग उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू11
	इलेक्ट्रिक रेडिएटर	एलएसईईडब्ल्यू12
	कमरे, बिस्तर, बैठने के फर्नीचर को गर्म करने के लिए अन्य बड़े उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू13
	बिजली के पंखे	एलएसईईडब्ल्यू14
	अन्य फैनिंग, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन और कंडीशनिंग उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू15
	वैक्यूम क्लीनर	एलएसईईडब्ल्यू16
	कालीन साफ़ करने वाला	एलएसईईडब्ल्यू17
	सफाई के लिए अन्य उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू18
	कपड़ा की सिलाई, बुनाई, बिनाई और अन्य प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण।	एलएसईईडब्ल्यू19
	इस्त्री, मैंगलिंग और कपड़ों की अन्य देखभाल के लिए इस्त्री और अन्य उपकरण।	एलएसईईडब्ल्यू20
	ग्राइंडर, कॉफी मशीन और कंटेनर या पैकेज खोलने या बंद करने के लिए उपकरण।	एलएसईईडब्ल्यू21

IndiaCode

	स्मोक डिटेक्टर	एलएसईईडब्ल्यू22
	हीटिंग रेगुलेटर	एलएसईईडब्ल्यू23
	ऊष्मा तापी	एलएसईईडब्ल्यू24
	गर्म पेय के लिए स्वचालित डिस्पेंसर	एलएसईईडब्ल्यू25
	गर्म या ठंडी बोतलों या कैन के लिए स्वचालित डिस्पेंसर	एलएसईईडब्ल्यू26
	ठोस उत्पादों के लिए स्वचालित डिस्पेंसर	एलएसईईडब्ल्यू27
	पैसों के लिए स्वचालित डिस्पेंसर	एलएसईईडब्ल्यू28
	सभी उपकरण जो स्वचालित रूप से सभी प्रकार के उत्पाद वितरित करते हैं	एलएसईईडब्ल्यू29
	इंडोर एयर प्यूरीफायर	एलएसईईडब्ल्यू30
	हेयरड्रायर	एलएसईईडब्ल्यू31
	इलेक्ट्रिक शेवर	एलएसईईडब्ल्यू32
	इलेक्ट्रिक केतली	एलएसईईडब्ल्यू33
	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पैनल/बोर्ड/विजुअल डिस्प्ले यूनिट	एलएसईईडब्ल्यू34
iv.	**विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (बड़े पैमाने पर स्थिर औद्योगिक उपकरण की आपत्तियों के साथ)**	
	ड्रिल	ईईटीडब्ल्यू1
	आरी	ईईटीडब्ल्यू2
	सिलाई मशीनें	ईईटीडब्ल्यू3
	लकड़ी, धातु और अन्य सामग्रियों के टर्निंग, मिलिंग, सैंडिंग, पीसने, चीरने, काटने, कतरने, ड्रिलिंग, छेद बनाने, छिद्रण, तह करने, झुकने या समान प्रसंस्करण के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू4
	रिवेटिंग, नेलिंग या स्क्रूइंग या रिवेट्स, कीलें, स्क्रू को निकालने या इसी तरह के उपयोगों के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू5
	वेल्डिंग, सोल्डरिंग या इसी तरह के उपयोग के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू6
	अन्य तरीकों से छिड़काव, प्रसार, फैलाव या अन्य माध्यम से तरल या गैसीय पदार्थ के अन्य उपचार के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू7
	घास काटने या अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू8
v.	**खिलौने, फुर्सत और खेल उपकरण**	टीएलएसई डब्ल्यू1
	विद्युत रेलगाड़ियाँ या कार रेसिंग सेट	टीएलएसई डब्ल्यू2
	हाथ से पकड़े जाने वाले वीडियो गेम कंसोल	टीएलएसई डब्ल्यू3
	वीडियो गेम	टीएलएसई डब्ल्यू4
	बाइक चलने, डुबकी लगाने, दौड़ने, नाव खेने आदि के लिए कंप्यूटर।	टीएलएसई डब्ल्यू5
	बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित खेल उपकरण	टीएलएसई डब्ल्यू6
	कॉइन स्लॉट मशीनें	टीएलएसई डब्ल्यू7
vi.	**चिकित्सा उपकरण (सभी प्रत्यारोपित और संक्रमित उत्पादों को छोड़कर)**	
	रेडियोथेरेपी उपकरण और सहायक उपकरण	एमडीडब्ल्यू1
	कार्डियोलॉजी उपकरण और सहायक उपकरण	एमडीडब्ल्यू2

IndiaCode

	डायलिसिस उपकरण और सहायक उपकरण	एमडीडब्ल्यू3
	पल्मोनरी वेंटिलेटर और सहायक उपकरण	एमडीडब्ल्यू4
	परमाणु चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण	एमडीडब्ल्यू5
	इन विट्रो निदान के लिए प्रयोगशाला उपकरण और सहायक उपकरण	एमडीडब्ल्यू6
	विश्लेषक और सहायक उपकरण	एमडीडब्ल्यू7
	मैग्नेटिक रेज़नन्स इमेजिंग (एमआरआई), पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) स्कैनर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैनर, और सहायक उपकरण के साथ अल्ट्रासाउंड उपकरण	एमडीडब्ल्यू8
	फर्टलिज़ेशन परीक्षण और सहायक उपकरण	एमडीडब्ल्यू9
	अन्य बिजली के उपकरण/उपकरण/किट जो मोबाइल सहित बीमारी, बीमारी, विकार, पीड़ा, संक्रमण, चोट, आघात, दुर्व्यवहार या विकलांगता को रोकने, जांच करने, पता लगाने, निगरानी, मूल्यांकन, समीक्षा, जांच, जांच, जांच, इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं, टैबलेट या कोई अन्य उपकरण जिसमें लैंगिकता चयन और उनके सहायक उपकरण की क्षमता है	एमडीडब्ल्यू10
vii.	प्रयोगशाला के उपकरण	
	गैस विश्लेषक	एलआईडब्ल्यू1
	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले उपकरण	एलआईडब्ल्यू2

IndiaCode

अनुसूची II

[देखें नियम 16(3), 16(4), 16(13)]

अनुप्रयोग, जिन्हें नियम 18 के उप-नियम (1) की अपेक्षाओं से छूट दी गई है	
	सत्व
1	सिंगल कैप (कॉम्पैक्ट) फ्लोरोसेंट लैंप में पारा (प्रतिबर्नर) निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए :
1(क)	सामान्य प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए <30 W: 2.5 mg
1(ख)	सामान्य प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए ≥ 30W और <50 W: 3.5 mg
1(ग)	सामान्य प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए ≥ 50W और <150 W: 5 mg
1(घ)	सामान्य प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए ≥ 150W: 15 mg
1(ङ)	गोलाकार या चौकोर संरचनात्मक आकार और ट्यूब व्यास के साथ सामान्य प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए ≤17mm : 7mg .
1(च)	विशेष प्रयोजनों के लिए : 5 mg
2(क)	सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए डबल-कैप लीनियर फ्लोरोसेंट लैंप में पारा में निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए (प्रति लैंप):
2(ख)(1)	सामान्य जीवनकाल के साथ ट्यूब व्यासऔर ट्राई-बैंड फॉस्फोर <9mm (जैसे T2): 4mg
2(क)(2)	सामान्य जीवनकाल के साथ ट्यूब व्यास और त्रि-बैंड फॉस्फोर ≥ 9 मिमी और ≤ 17 मिमी (जैसे T5): 3 मिलीग्राम
2(क)(3)	सामान्य जीवनकाल के साथ एक ट्यूब व्यास और त्रि-बैंड फॉस्फोर >17 मिमी ≤ 28 मिमी (जैसे टी8): 3.5 मिलीग्राम
2(क)(4)	सामान्य जीवनकाल के साथ ट्यूब व्यास और त्रि-बैंड फॉस्फोर >28 मिमी (जैसे टी 12): 3.5 मिलीग्राम
2(क)(5)	लंबे जीवनकाल के साथ त्रि-बैंड फॉस्फोर (≥25000 एच): 5 मिलीग्राम
2(ख)	अन्य फ्लोरोसेंट लैंप में पारा (प्रति लैंप) में निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए :

2(ख)(1)	ट्यूब के साथ लीनियर हेलोफॉस्फेट लैंप > 28 मिमी (जैसे टी 10 और टी 12): 10 मिलीग्राम
2(ख)(2)	नॉन-लीनियर हेलोफॉस्फेट लैंप (सभी व्यास) : 15mg
2(ख)(3)	ट्यूब व्यास के साथ नॉन-लीनियर त्रि-बैंड फॉस्फोर लैंप> 17 मिमी (जैसे टी 9) : 15 मिलीग्राम
2(ख)(4)	अन्य सामान्य प्रकाश व्यवस्था और विशेष उद्देश्यों के लिए लैंप (जैसे इंडक्शन लैंप) :15mg
3	ठंडे कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप और बाहरी इलेक्ट्रोड फ्लोरोसेंट लैंप (सीसीएफएल और ईईएफएल) में विशेष उद्देश्यों के लिए पारा (प्रति लैंप) निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए :
3(क)	छोटी लंबाई (<500 मिमी) : 3.5mg
3(ख)	मध्यम लंबाई (>500 मिमी और <1500 मिमी) : 5mg
3(ग)	दीर्घ लंबाई (>1500 मिमी) : 13mg
4(क)	अन्य निम्न दबाव डिस्चार्ज लैंप में पारा (प्रति लैंप): 15mg
4(ख)	उच्च दबाव सोडियम (वाष्प) लैंप में पारा सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए Ra>60 के बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक के साथ लैंप में (प्रति बर्नर) निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए :
4(ख)-I	P≤155W:30mg
4(ख)-II	155W<P ≤405W:40mg
4(ख)-III	P>405W:40mg
4(ग)	अन्य उच्च दबाव सोडियम (वाष्प) लैंप में सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए पारा (प्रति बर्नर) निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए :
4(ग)-I	P≤155W:25mg
4(ग)-II	155W<P≤ 405W:30mg
4(ग)-III	P>405W:40mg
4(घ)	उच्च दाब में पारा (वाष्प) लैंप (HPMV)
4(ङ)	धातु हलाइड लैंप में पारा (MH)
4(च)	विशेष प्रयोजनों के लिए अन्य डिस्चार्ज लैंप में पारा, जो अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है
5(क)	कैथोड रे ट्यूब के कांच में सीसा
5(ख)	फ्लोरोसेंट ट्यूब के कांच में सीसा वजन के अनुसार 0.2% से अधिक नहीं होना चाहिए
6(क)	मशीनिंग उद्देश्यों के लिए स्टील में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में सीसा और जस्ती स्टील में वजन के अनुसार 0.35% तक सीसा होता है
6(ख)	एल्युमीनियम में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में सीसा में वजन के अनुसार 0.4% तक सीसा होता है
6(ग)	ताम्र मिश्र धातु जिसमें वजन के अनुसार 4% तक सीसा होता है
7(क)	उच्च पिघलाव तापमान प्रकार के सोल्डर में सीसा (अर्थात सीसा आधारित मिश्र धातु जिसमें वजन के हिसाब से 85% या अधिक सीसा होता है)
7(ख)	सर्वर, स्टोरेज और स्टोरेज ऐरेसिस्टम के लिए सोल्डर में, स्विचिंग, सिग्नलिंग, ट्रांसमिशन और दूरसंचार के लिए नेटवर्क प्रबंधन के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरण में सीसा
7(ग)-I	कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक सिरेमिक के अलावा कांच या सिरेमिक में सीसा युक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक घटक, जैसे पीजो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या कांच या सिरेमिक मैट्रिक्स कंपाउंड में।
7(ग)-II	125 V AC या 250 V DC या उच्चतर के रेटेड वोल्टेज के लिए कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक सिरेमिक में सीसा
7(ग)-III	125 V AC या 250 V DC से कम के रेटेड वोल्टेज के लिए कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक सिरेमिक में सीसा
8(क)	वन शॉट पैलेट टाइप थर्मल कट-ऑफ में कैडमियम और इसके यौगिक

IndiaCode

8(ख)	विद्युत अनुबंधों में कैडमियम और उसके यौगिक
9	हेक्सावलेंट क्रोमियम कार्बन स्टील कूलिंग सिस्टम के एंटीकोर्सियन एजेंट के रूप में अवशोषण रेफ्रिजरेटर में कूलिंग सॉल्यूशन में वजन के अनुसार 0.75% तक होता है।
9(क)	हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन (HVACR) अनुप्रयोग के लिए रेफ्रिजरेंट युक्त कम्प्रेसर के लिए शेल और झाड़ियों में सीसा।
10(क)	सी-प्रेस कॉम्पलिएंट पिनकनेक्टर सिस्टम में प्रयुक्त सीसा
10(ख)	सी-प्रेस कॉम्पलिएंट पिनकनेक्टर सिस्टम के अलावा अन्य में इस्तेमाल किया जाने वाला सीसा
11	थर्मल चालन मॉड्यूल सी-रिंग के लिए एक कोटिंग सामग्री के रूप में सीसा
12(क)	ऑप्टिकल अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले सफेद चश्मे में सीसा
12(ख)	परावर्तन मानकों के लिए उपयोग किए जाने वाले फिल्टर चश्मेऔर चश्मे में कैडमियम और सीसा।
13	पिंस और माइक्रो प्रोसेसरों के पैकेज के बीच कनेक्शन के लिए दो सेअधिक तत्वों से युक्त सोल्डर्स में सीसा, जिसमे 80% से अधिक की सीसा सामग्री और वजन से 85% से कम सीसा है।
14	इंटीग्रेटेड सर्किट फ्लिप चिप पैकेज के भीतर सेमीकंडक्टर डाई और कैरियर के बीच व्यवहार्य विद्युत कनेक्शन को पूरा करने के लिए सोल्डर्स में सीसा।
15	सिलिकेट लेपित ट्यूबों के साथ रैखिक प्रकाश मान लैंप में सीसा
16	पेशेवर रिप्रोग्राफी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च तीव्रता वाले डिस्चार्ज (एचआईडी)लैंप में रेडिएंट एजेंट के रूप में लेड हैलाइड।
17(क)	डायज़ोप्रिंटिंग रिप्रोग्राफी, लिथोग्राफी, कीटट्रैप, फोटोकैमिकल और फॉस्फोर युक्त इलाज प्रक्रियाओं जैसे एसएमएस($(Sr,Ba)_2MgSi_2O_7$:Pb)के लिए विशेष लैंप के रूप में उपयोग किए जाने पर डिस्चार्ज लैंप के फ्लोरोसेंट पाउडर (वजन केअनुसार 1% या उससे कम) में उत्प्रेरक के रूप में सीसा
17(ख)	फॉस्फोरस युक्त सनटैनिंग लैंप जैसे बीएसपी (Ba Si2O5:Pb) के रूप में उपयोग किए जाने पर डिस्चार्ज लैंप के फ्लोरो सेंट पाउडर (वजनकेअनुसार 1% या उससे कम) में उत्प्रेरक के रूप में सीसा
18	मुख्य मिश्रण के रूप में विशिष्ट रचनाओं में PbBiSn-Hg और PblnSn-Hg युक्त सीसा और बहुत कॉम्पैक्ट ऊर्जाबचतलैंप (ESL) में सहायक अमलगम के रूप मेंPbSn-Hg युक्तसीसा।
19	लिक्विडक्रिस्टलडिस्प्ले (एलसीडी) के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्लैटफ्लोरोसेंट लैंप के सामने और पीछे के सबस्ट्रेट्स को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले कांच में लेडऑक्साइड
20	बोरोसिलिकेट और सोडालाइमग्लास जैसे ग्लास पर एनामेल लगाने के लिए प्रिंटिंग स्याही में सीसा और कैडमियम
21	0.65 मिमी और उससे कम की पिच वाले कनेक्टर्स के अलावा अन्य महीन पिच घटकों की अंतिम सज्जा में सीसा
22	छेद डिस्कोइडल और प्लानर सरणी सिरेमिक मल्टीलेयर कैपेसिटर्स के माध्यमसे मशीन की सोल्डरिंग के लिए सोल्डर में सीसा
23	संरचनात्मकतत्वों विशेष रूप से सीलफ्रिट और फ्रिट रिंग में उपयोग किया जाने वाले सतह चालन इलेक्ट्रॉन एमिटर डिस्प्ले (SED) में लेड ऑक्साइड।
24	काले हल्के नीले लैंप के ग्लास एनवेलोप में लेड ऑक्साइड
25	उच्च शक्ति (125 डीबी एसपीएल और उससे अधिक के ध्वनिक शक्ति स्तरों पर कई घंटों तक संचालित करने के लिए नामित) लाउडस्पीकरों में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसड्यूसर के लिए सोल्डर के रूप में सीसा मिश्र धातु
26	क्रिस्टल ग्लास में बंधी सीसा
27	100 डीबी (ए) और अधिक के ध्वनि दबाव स्तरवाले उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसड्यूसर में सीधे वॉयस कॉइल पर स्थित विद्युत कंडक्टर के लिए विद्युत या यांत्रिक सोल्डर जोड़ों के रूप में कैडमियम मिश्र धातु।
28	पारा मुक्त फ्लैट फ्लोरोसेंट लैंप में सोल्डरिंग सामग्री में सीसा (जो उदाहरण के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,डिजाइन या औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है)

29	आर्गन और क्रिप्टनलेजर ट्यूबों के लिए विंडो असेंबलियों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सील फ्रिट में लेड ऑक्साइड
30	100 माइक्रोन व्यास के पतले तांबे के तारों और बिजली ट्रांसफार्मर में कम के सोल्डरिंग के लिए सोल्डर में सीसा
31	सेरमेट-आधारित ट्रिमर पोटेंशियोमीटर तत्वों में सीसा
32	डीसी प्लाज्मा डिस्प्ले में कैथोड स्पटरिंग इनहिबिटर के रूप में उपयोग किया जाने वाला पारा 30 मिली ग्राम प्रति डिस्प्ले तक की सामग्री के साथ होता है।
33	जिंक बोरेट ग्लास बॉडी के आधार पर उच्च वोल्टेज डायोड की प्लेटिंग परत में सीसा
34	एल्यूमीनियम बॉण्डेड बेरिलियम ऑक्साइड पर इस्तेमाल होने वाले मोटे फिल्म पेस्ट में कैडमियम और कैडमियम ऑक्साइड
35	ठोस अवस्था रोशनी या प्रदर्शन प्रणालियों मेंउपयोग के लिए कलर कंवर्टिंग II-VI एलईडी (<10 माइक्रोग्राम सीडी प्रति मिमी2 प्रकाश उत्सर्जक क्षेत्र) में कैडमियम।

अनुसूची III

[देखें नियम 3(एम), 6(2), 13(1), 13(2)]

क्रमांक	वर्ष	ई-अपशिष्टपुनर्चक्रणलक्ष्य (वजन)
(i)	2023 -2024	वर्ष Y-X में बाजार में रखे गए ईईई की मात्रा का 60%, जहां 'X' उस उत्पाद का औसत जीवन है
(ii)	2024 -2025	वर्ष Y-X में बाजार में रखे गए ईईई की मात्रा का 60%, जहां 'X' उस उत्पाद का औसत जीवन है
(iii)	2025 -2026	वर्ष Y-X में बाजार में रखे गए ईईई की मात्रा का 70%, जहां 'X' उस उत्पाद का औसत जीवन है
(iv)	2026 -2027	वर्ष Y-X में बाजार में रखे गए ईईई की मात्रा का 70%, जहां 'X' उस उत्पाद का औसत जीवन है
(v)	2027 -2028	वर्ष Y-X में बाजार में रखे गए ईईई की मात्रा का 80%, जहां 'X' उस उत्पाद का औसत जीवन है
(vi)	2028 -2029 से आगे	वर्ष Y-X में बाजार में रखे गए ईईई की मात्रा का 80%, जहां 'X' उस उत्पाद का औसत जीवन है

टिप्पण :

* (1) ई-कचरा पुनर्चक्रण लक्ष्य की समीक्षा की जाएगी और वर्ष 2028-2029 के अंत के पश्चात् इसे बढ़ाया जा सकता है।

(2) ** उपयोग किए गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयातकों के पास जीवन के अंत के पश्चात् आयातित सामग्री के लिए 100% विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी होगी, यदि पुन: निर्यात नहीं किया जाता है।

(3) ई-अपशिष्टपुनर्चक्रण लक्ष्य सौर फोटो-वोल्टाइकमॉड्यूल या पैनल या सेल से उत्पन्न कचरे के लिए लागू नहीं होंगे।

अनुसूची IV

[देखें नियम 3(एम), 6(2), 13(1), 13(2)]

उत्पादकों के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य, जिन्होंने हाल ही में बिक्री संचालन शुरू किया है, यानी बिक्री संचालन के वर्षों की संख्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित उनके उत्पादों के औसत जीवन से कम है।

क्रमांक	वर्ष	ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्य (वजन)
(i)	2023-2024	वित्त वर्ष 2021-22 के बिक्री आंकड़े का 15%
(ii)	2024-2025	वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिक्री आंकड़े का 20%
(iii)	2025-2026 से आगे	दो साल पूर्व वित्त वर्ष की बिक्री के आंकड़े का 20%

टिप्पण: *(1) एक बार जब बिक्री संचालन के वर्षों की संख्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित उनके उत्पाद के औसत जीवन के बराबर हो जाती है, तो उनका विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व का दायित्व अनुसूची-III के अनुसार होगा।*

(2) ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्य सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल से उत्पन्न कचरे के लिए लागू नहीं होंगे।

अनुसूची-V

[नियम देखें (17)]

प्राधिकारियों और ततस्थानी कर्तव्यों की सूची

क्रमांक	प्राधिकरण	तदनुसार कर्तव्य
1.	**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**	(1) विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व पोर्टल का संचालन और रखरखाव और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व अनुपालन की निगरानी करना। (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करना। (3) इन नियमों के अधीन समय-समय पर ई-कचरे के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पृथक्करण, नवीनीकरण, निराकरण, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करना और जारी करना और इननियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रपत्र/विवरणी भी जारी करना। (4) ई-अपशिष्ट नियमों के अनुपालन का पता लगाने के लिए यादृच्छिक जाँच करना और सीमा शुल्क / राज्य सरकार या किसी अन्य अधिकरण (ओं) की मदद करना। (5) दस्तावेज़ीकरण, ई-कचरे पर डाटा का संकलन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइटों पर अपलोड करना। (6) इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना। (7) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों सहित क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। (8) ई-अपशिष्ट प्रबंधन, आरई/सीई लेबल, उपभोक्ताओं को उत्पाद के उपयोग और सुरक्षित निपटान के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए विधि पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। (9) सभी हितधारकों को केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली के साथ एकीकृत करना। (10) मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट जमा करना। (11) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी के संबंध में उपबंधों का प्रवर्तन करना। (12) खतरनाक पदार्थों को कम करने के लिए आईटी उद्योग के साथ बातचीत करना। (13) समय-समय पर विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी के अनुपालन के लिए लक्ष्य को निर्धारित और संशोधित करना (14) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला और इसकी अनिवार्य जांच के माध्यम सेघातक पदार्थों पर प्रतिबन्ध(RoHS) का अनुपालन और इसके प्रमाणन सुनिश्चित करना। (15) इन नियमों के अधीन समय-समय पर मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य करना।

2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ	(1) ई-कचरे को सूचीबद्ध करना। (2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की निगरानी और अनुपालन करना। (3) पुनर्चक्रण और नवीनीकरण का यादृच्छिक निरीक्षण करना और पुनर्चक्रण क्षमता उपयोग की निगरानी करना। (4) पर्यावरणीय रूप से ध्वनि पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना। (5) इन नियमों के तहत मंत्रालय/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्यकरना।
3.	स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण) का उत्तरदायित्व।	(1) यह सुनिश्चित करना कि यदि ई-कचरा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के साथ मिला हुआ पाया गया है, तो उसे ठीक से अलग करना, एकत्र करना और रजिस्ट्रीकृत रिसाइकलर या रिफर्बिशर को चैनलाइज़ करना। (2) यह सुनिश्चित करना कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ई-कचरा एकत्र गया है और रजिस्ट्रीकृत रिसाइकलर या रिफर्बिशर को चैनलाइज़ किया गया है। (3) ई-कचरा संग्रह, पृथक्करण और निपटान प्रणाली को सुविधाजनक बनाना। (4) शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
4.	भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के तहत बंदरगाह प्राधिकरण की जिम्मेदारी और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क प्राधिकरण।	(1) इन नियमों के अधीन विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के संबंध में आयात या निर्यात को सत्यापित करना। (2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किसी भी अवैध यातायात के बारे में आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करना। (3) भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908/सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उल्लंघन के लिए आयातक के विरुद्ध कार्रवाई करना।
5.	भारतीय मानक ब्यूरो/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारियां	नवीनीकृत उत्पादों के लिए मानक जारी करना। भारतीय मानक ब्यूरो/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण योजना (सीआरएस) के संबंध में नवीनीकरण करने वालों के लिए दिशानिर्देश भी विकसित करेगा।

[फा. सं. 12/136/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November 2022

G.S.R. 801(E).—Whereas the draft rules, namely the E-Waste (Management) Rules, 2022 were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* notification number S.O. 360 (E), dated the 19th May, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 19th day of May, 2022;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the E-waste (Management) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

IndiaCode

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the E-Waste (Management) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2023.

2. Application. - These rules shall apply to every manufacturer, producer refurbisher, dismantler and recycler involved in manufacture, sale, transfer, purchase, refurbishing, dismantling, recycling and processing of e-waste or electrical and electronic equipment listed in Schedule I**,** including their components, consumables, parts and spares which make the product operational but shall not apply to -

(a) waste batteries as covered under the Battery Waste Management Rules, 2022;

(b) packaging plastics as covered under the Plastic Waste Management Rules, 2016;

(c) micro enterprise as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); and

(d) radio-active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and rules made there under.

3. Definitions. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Act' means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) 'bulk consumer' means any entity which has used at least one thousand units of electrical and electronic equipment listed in Schedule I, at any point of time in the particular Financial Year and includes e-retailer;

(c) 'business' means manufacturing, production, assembling and import of electrical and electronic equipment as listed in Schedule I and refurbishing, recycling, disposal and treatment of e-waste;

(d) 'component' means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up of and into which it may be resolved and includes an accessory or attachment to another component;

(e) 'consumables' means an item, which participates in or is required for a manufacturing process or for functioning of the electrical and electronic equipment and may or may not form part of

end-product and Items which are substantially or totally consumed during a manufacturing process shall bedeemed to be consumables;

(f) 'dismantler' means any person or entity engaged in dismantling of used electrical and electronic equipment into their components and having authorisation from concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as per the guidelines of the Central Pollution Control Board;

(g) 'disposal and treatment' means any operation which does not lead to recycling, recovery or reuse and includes physicochemical or biological treatment, incineration and deposition in secured landfill;

(h) 'end-of-life' of the product means the time when the product is intended to be discarded by the user;

(i) 'environmentally sound management of e-waste' means taking all steps required to ensure that e-waste is managed in a manner which shall protect health and environment against any adverse effects, which may result from such e-waste;

(j) 'electrical and electronic equipment' means equipment which are dependent on electric current or electro-magnetic field in order to become functional and also the equipment for the generation, transfer and measurements of the electricity;

(k) 'e-retailer' means an individual or company or business entity that uses an electronic network such as internet, social media, telephone or any other media, to sell its goods;

(l) 'e-waste' means electrical and electronic equipment, including solar photo-voltaic modules or panels or cells, whole or in part discarded as waste, as well as rejects from manufacturing, refurbishment and repair processes;

(m) 'extended producer responsibility' means responsibility of any producer of electrical or electronic equipment as given in Schedule-I for meeting recycling targets as per Schedule-III and Schedule-IV, only through registered recyclers of e-waste to ensure environmentally sound management of such waste;

(n) 'facility' means any location wherein the process incidental to the collection, reception, storage, segregation, refurbishing, recycling, disposal and treatment of e-waste are carried out;

(o) 'historical e-waste' means e-waste generated from electrical and electronic equipment as specified in Schedule-I which was available on the date from which these rules come into force;

(p) 'manufacturer' means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or Small and Medium Enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), which has facilities for manufacture of electrical and electronic equipment as specified in Schedule-I;

(q) 'orphaned products' means non-branded or assembled electrical and electronic equipment as specified in Schedule-I or those produced by a company which has closed its operations;

(r) 'part' means an element of a sub-assembly or assembly including its component, spares or accessory not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes;

(s) 'portal' means the online system developed by the Central Pollution Control Board for the purposes of these rules;

(t) 'producer' means any person or entity who, -

(i) manufactures and offers to sell electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares under its own brand; or

(ii) offers to sell under its own brand, assembled electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares produced by other manufacturers or suppliers; or

(iii) offers to sell imported electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares; or

(iv) who imports used electrical and electronic equipment;

irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-retailer, etc.;

(u) 'recycler' means any person or entity who is engaged in recycling and reprocessing of waste electrical and electronic equipment or assemblies or their components or their parts for recovery of precious, semi-precious metals including rare earth elements and other useful recoverable materials to strengthened the secondary sourced materials and having facilities as elaborated in the guidelines of the Central Pollution Control Board made in this regard;

(v) 'refurbisher' means any person or entity repairing or assembling used electrical and electronic equipment as listed in Schedule-I for extending its working life over its originally intended life and for same use as originally intended, and selling the same in the market;

(w) 'Schedule' means the Schedule appended to these rules;

(x) 'spares' means a part or a sub-assembly or assembly for substitution which is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assemblyincluding a component or an accessory; and

(y) 'target' means the quantity of e-waste to be recycled through registered recycler by the producer in fulfilment of extended producer responsibility.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively, as assigned to them in the Act.

IndiaCode

CHAPTER II

Extended Producer Responsibility Framework

4. Registration. - (1) The entities shall register on the portal in any of the following category, namely: -

(a) manufacturer;

(b) producer;

(c) refurbisher; or

(d) recycler.

(2) In case any entity falls in more than one categories under sub-rule (1), then the entity shall register under those categories separately.

(3) No entity referred in sub-rule (1) shall carry out any business without registration.

(4) The entities registered under sub-rule (1) shall not deal with any unregistered manufacturer, producer, recycler and refurbisher.

(5) Where any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for getting registration or return or report or information required to be provided or furnished under these rules or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to three-years after giving an opportunity to be heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied as per rule 22 in such cases.

(6) The Central Pollution Control Board may charge such registration fee and annual maintenance charges from the entities seeking registration under these rules based on capacity of e-waste generated or recycled or handled by them as laid down by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee.

CHAPTER III

RESPONSIBILITIES

5. Responsibilities of the manufacturer. – All manufacturer shall have to, -

(1) register on the portal;

(2) collect e-waste generated during the manufacture of any electrical and electronic equipment and ensure its recycling or disposal;

(3) file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates.

6. Responsibilities of the producer. - The producer of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall be responsible for -

(1) registration on the portal;

(2) obtaining and implementing extended producer responsibility targets as per Schedule-III and Schedule-IV through the portal:

Provided that the producer having extended producer responsibility plan under the provisions of the erstwhile E-Waste (Management) Rules, 2016 shall migrate under these rules as per the procedure laid down by the Central Pollution Control Board with approval of Steering Committee;

(3) creating awareness through media, publications, advertisements, posters or by any other means of communication;

(4) file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates.

7. Responsibilities of the refurbisher. – All refurbisher shall have to, -

(1) register on the portal;

(2) collect e-waste generated during the process of refurbishing and hand over the waste to registered recycler and upload information on the portal;

(3) ensure that the refurbished equipment shall be as per Compulsory Registration Scheme of the Ministry of Electronics and Information Technology and Standards of Bureau of Indian Standards framed for this purpose;

(4) file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates.

8. Responsibilities of bulk consumer. - Bulk consumers of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall ensure that e-waste generated by them shall be handed over only to the registered producer, refurbisher or recycler.

9. Responsibilities of the recycler. - All recycler shall have to, -

(1) register on the portal;

(2) ensure that the facility and recycling processes are in accordance with the standards or guidelines laid down by the Central Pollution Control Board in this regard from time to time;

(3) ensure that the fractions or material not recycled in its facility is sent to the respective registered recyclers;

(4) ensure that residue generated during recycling process is disposed of in anauthorised treatment storage disposal facility;

(5) maintain record of e-waste collected, dismantled, recycled and sent to registered recycler on the portal and make available all records for verification or audit as and when required;

(6) file annual and quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates;

(7) accept waste electrical and electronic equipment or components not listed in Schedule-I for recycling provided that they do not contain any radioactive material and same shall be uploaded on the portal;

(8) create awareness through media, publications, advertisements, posters or by such other means of communication;

(9) account for and upload information about any non-recyclable e-waste or any quantity which is not recycled and disposed of;

(10) take help of dismantlers for recycling purposes:

Provided that it shall be the responsibility of recycler to ensure proper material flow to and from those dismantlers and the dismantler shall give dismantled material to registered recycler only and maintain record of the same.

10. Responsibilities of State Government or Union territories. - (1) The Department of Industry in the State and Union territory or any other government agency authorised in this regard by the State Government or the Union territory, as the case may be, shall ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for e-waste dismantling andrecycling in the existing and upcoming industrial park, estate and industrial clusters.

(2) Department of Labor in the State and Union territory or any other government agency authorised in this regard by the State Government or the Union territory, as the case may be, shall, -

(a) ensure recognition and registration of workers involved in dismantlingand recycling;

(b) assist formation of groups of such workers to facilitate setting up of dismantling facilities;

(c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in dismantling and recycling;

(d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in dismantling and recycling.

IndiaCode

CHAPTER IV

11. Procedure for storage of e-waste. - Every manufacturer, producer, refurbisher and recycler may store the e-waste for a period not exceeding one hundred and eighty days and shall maintain a record of sale, transfer and storage of e-wastes and make these records available for inspection and the storage of the e-waste shall be done as per the applicable rules or guidelines for the time being in force:

Provided that the Central Pollution Control Board may extend the said period up to three hundred and sixty-five days in case the e-waste needs to be specifically stored for development of a process for its recycling or reuse.

CHAPTER V

12. Management of solar photo-voltaic modules or panels or cells. – (1) These rules shall be applicable to solar photo-voltaic modules or panels or cells, subject to provisions of this chapter.

(2) Every manufacturer and producer of solar photo-voltaic modules or panels or cells shall, -

(i) ensure registration on the portal;

(ii) store solar photo-voltaic modules or panels or cells waste generated up to the year 2034-2035 as per the guidelines laid down by the Central Pollution Control Board in this regard;

(iii) file annual returns in the laid down form on the portal on or before the end of the year to which the return relates up to year 2034-2035;

(iv) ensure that the processing of the waste other than solar photo-voltaic modules or panels or cells shall be done as per the applicable rules or guidelines for the time being in force;

(v) ensure that the inventory of solar photo-voltaic modules or panels or cells shall be put in place distinctly on portal;

(vi) comply with standard operating procedure and guidelines laid down by the Central Pollution Control Board in this regard.

(3) Recycler of solar photo-voltaic modules or panels or cells shall be mandated for recovery of material as laid down by the Central Pollution Control Board in this regard.

CHAPTER VI

13. Modalities of the extended producer responsibility Regime. – (1) All producers shall fulfil their extended producer responsibility obligation as per Schedule-III and Schedule-IV, in doing so they may also take help of third party organisations such as producer responsibility organisations, collection centres, dealers etc.:

Provided that the extended producer responsibility shall lie entirely on the producer only.

(2) The extended producer responsibility for each product shall be decided on the basis of the information provided by the producers on the portal and the individual product's life period as laid down by the Central Pollution Control Board in this regard and the targets specified in Schedule-III and Schedule-IV.

(3) (i) The producer shall fulfill their extended producer responsibility through online purchase of extended producer responsibility certificate from registered recyclers only and submit it online by filing quarterly return.

(ii) The details provided by producer and registered recycler shall be cross-checked on the portal.

(iii) In case of any difference, the lower figure shall be considered towards fulfilment of extended producer responsibility obligation of the producer.

(iv) The certificates shall be subject to environmental audit by the Central Pollution Control Board or any other agencies authorized by the Central Pollution Control Board in this regard.

14. Extended producer responsibility Certificate Generation. – (1) Recycling. - (i) The Central Pollution Control Board shall generate extended producer responsibility certificate through the portal in favour of a registered recycler in the format laid down by it in this regard.

(ii) (a) The quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated by the following formula namely:

$$*Q_{EPR} = Q_p \times C_f$$

**the Q_{EPR} is the quantity eligible for generation of the certificate, Q_p is the quantity of the end product and C_f is the conversion factor (quantity of inputs required for production of one unit of output)*

(b) Conversion factor C_f for each end product shall be determined by Central Pollution Control Board with the approval of the steering committee.

(iii) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be two years from the end of the financial year in which it was generated and the expired certificate automatically extinguished after the period unless extinguished earlier as per the provisions of these rules.

(iv) Each extended producer responsibility certificate shall have a unique number containing year of generation, code of end product, recycler code and a unique code and the extended producer responsibility certificates shall be in the denominations of 100, 200, 500 and 1000 kg or such other denominations as may be laid down by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee.

(2) Refurbishing. – (i) The e-waste shall also be allowed for refurbishing and refurbisher shall have to get registered on the portal and based on the data provided, refurbishing certificate shall be generated in favour of a registered refurbisher in the format laid down by it in this regard.

(ii) On production of the refurbishing certificates purchased from the registered refurbishers, the extended producer responsibility of the producers shall be deferred by the duration as laid down by the Central Pollution Control Board for the corresponding quantity of e-waste and shall be added to the extended producer responsibility of the producer upon expiry of the extended life of the refurbished product.

(iii) To incentivise refurbishing, only 75 per cent of the deferred quantity shall be added to the extended producer responsibility of the producer for recycling upon expiry of the extended life of the refurbished product.

Example: **-** If a producer has extended producer responsibility obligation of 100 tonnes in the year 2023-2024 and he purchases recycling certificate of 60 tonnes and refurbishing certificate of 40 tonnes and the concerned item has extended life of five years due to refurbishing.

In this case 60 tonnes of the extended producer responsibility of the producer shall be achieved in the year 2023-2024 itself and 75 per cent of the reaming 40 tonne i.e. 30 tonnes shall be carried over and added to the extended producer responsibility of that producer for the year 2028-2029 for that item.

(iv) The extended producer responsibility obligation shall be extinguished only after end of life disposal through a registered recycler and producing extended producer responsibility certificate and not by refurbishing certificate.

15. Transaction of extended producer responsibility certificates. - (1) A producer may purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 5 per cent of the current year liability.

(2) The extended producer responsibility obligation shall have to be fulfilled by the producers by proportionately purchasing extended producer responsibility certificate on quarterly basis.

(3) As soon as the producer purchases extended producer responsibility certificate, it shall be automatically adjusted against its liability and priority in adjustment shall be given to earlier liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.

(4) As soon as producer purchases refurbishing certificates its extended producer responsibility liability shall be deferred automatically for the relevant quantity of the product, for the duration as laid down by the Central Pollution Control Board.

(5) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate and refurbishing certificates for every producer or recycler or refurbisher shall be made available on the portal.

(6) All the transactions under these rules shall be recorded and submitted by the producers or recyclers on the portal at the time of filing of quarterly returns.

CHAPTER VII

REDUCTION IN THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN THE MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT AND THEIR COMPONENTS OR CONSUMABLES OR PARTS OR SPARES

16. Reduction in the use of hazardous substances in the manufacture of electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares. – (1) Every producer of electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares listed in Schedule I shall ensure that, new electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares do not contain Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers beyond a maximum concentration value of 0.1 per cent by weight in homogenous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers and of 0.01 per cent by weight in homogenous materials for cadmium.

(2) Components or consumables or parts or spares required for the electrical and electronic equipment placed in the market prior to the 1st May, 2014 may be exempted from the provisions

of sub-rule (1) provided reduction of hazardous substances compliant parts and spares are not available.

(3) The applications listed in Schedule-II shall be exempted from provisions of sub- rule (1).

(4) Every producer of applications listed in Schedule-II shall ensure that the limits of hazardous substances as given in Schedule-II are to be complied.

(5) Every producer shall provide the detailed information on the constituents of the equipment and their components or consumables or parts or spares along with a declaration of conformance to the reduction of hazardous substances provisions in the product user documentation.

(6) Imports or placement in the market for new electrical and electronic equipment shall be permitted only for those which are compliant to provisions of sub-rules (1) and (4).

(7) Manufacture and supply of electrical and electronic equipment used for defence and other similar strategic applications shall be excluded from provisions of sub- rule (1).

(8) Every producer shall provide information on the compliance of the provisions of sub-rule (1) and this information shall be in terms of self-declaration.

(9) Manufacturer shall use the technology or methods so as to make the end product recyclable;

(10) Manufacturer shall ensure that component or part made by different manufacturer are compatible with each other so as to reduce the quantity of e-waste.

(11) The Central Pollution Control Board shall conduct random sampling of electrical and electronic equipment placed on the market to monitor and verify the compliance of reduction of hazardous substances provisions and the cost for sample and testing shall be borne by the producer and the random sampling shall be as per the guidelines laid down by the Central Pollution Control Board in this regard.

(12) If the product does not comply with reduction of hazardous substances provisions, the producer shall take corrective measures to bring the product into compliance and withdraw or recall the product from the market, within a reasonable period as per the guidelines laid down by the Central Pollution Control Board in this regard.

(13) The Central Pollution Control Board shall lay down the methods for sampling and analysis of hazardous substances as listed in sub-rule (1) with respect to the items listed in Schedule-I and Schedule-II and also enlist the labs for the said purpose.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

17. Duties of Authorities. - Subject to the other provisions of these rules, the authorities shall perform duties as specified in Schedule-V.

18. Annual Report. - The Central Pollution Control Board shall submit an annual report to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change regarding status of implementation of the e-waste management rules with quantitative and qualitative analysis along with its recommendations, within one month of the end of the financial year.

19. Transportation of e-waste. - Transportation of waste generated from manufacturing or recycling destined for final disposal to a treatment, storage and disposal facility shall follow the provisions under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

20. Accident reporting. - Where an accident occurs at the facility processing e-waste or during transportation of e-waste, the producer, refurbisher, transporter, dismantler, or recycler, as the case may be, shall report immediately to the concerned State Pollution Control Board about the accident through telephone and e-mail.

21. Appeal. - (1) Any person aggrieved by an order of suspension or cancellation or refusal of registration or its renewal passed by the Central Pollution Control Board, within a period of thirty days

from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal to the Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change duly nominated by the Central Government in this regard.

(2) The Appellate Authority may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

22. Environmental Compensation. - (1) The Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on any entity in case of violation of any of the provision of these rules and guidelines issued hereunder and the said guidelines shall be in accordance with these rules and shall be approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(2) The Central Pollution Control Board shall also lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on the producer in case of non-fulfilment of obligations set out in these rules and transaction or use of false extended producer responsibility certificate and the said guidelines shall be in accordance with these rules and shall be approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(3) The environmental compensation shall also be levied on unregistered producers, manufacturer, refurbisher, recyclers and any entity which aids or abets the violation of these rules.

(4) (i) Payment of environmental compensation shall not absolve the producer from the extended producer responsibility as specified in these rules and the unfulfilled extended producer responsibility for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years.

(ii) In case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after one year, 85 per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer.

(iii) In case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after two year, 60 per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after three year, 30 per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, thereafter no environmental compensation shall be returned to the producer.

(5) False information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler shall result in revocation of registration and imposition of environmental compensation which shall not be returnable and repeat offence, violation of these rules for three times or more shall also result in permanent revocation of registration over and above the environmental compensation charges.

(6) (i) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by the Central Pollution Control Board and the funds collected shall be utilizsed in collection and recycling or end of life disposal of uncollected, historical, orphaned e-waste and non-recycled or non-end of life disposal of e-waste on which the environment compensation is levied, research and development, incentivising recyclers, financial assistance to local bodies for managing waste management projects and on other heads as decided by the committee.

(ii) The modalities and heads for utilisation of the funds shall be decided by the Steering Committee with the approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

23. Prosecution. - Any person, who provides incorrect information required under these rules for obtaining extended producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended producer responsibility certificates in any manner, willfully violates the directions given under these rules or fails to cooperate in the verification and audit proceedings, may be prosecuted under section 15 of the Act, 1986 and this prosecution shall be in addition to the environmental compensation levied under rule 22.

24. Verification and Audit. – The Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of these rules by producers, manufacturer, refurbisher, dismantlers and

recyclers through random inspection and periodic audit, as deemed appropriate so as to take action against violations of the provisions of these rules as per rule 22.

25. Steering Committee. - (1) There shall be a Steering Committee under the Chairmanship of Chairman, Central Pollution Control Board to oversee the overall implementation of these rules and the Steering Committee shall comprise of following other members in addition to the chair, namely: -

(a) one representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(b) one representative of the Ministry of Electronics and Information Technology;

(c) one representative of the Ministry of New and Renewable Energy;

(d) one representative of the Ministry of Housing and urban Affairs;

(e) a maximum of two representatives of electrical and electronic equipment Producer and Manufacturer Association;

(f) a maximum of two representatives of E-Waste Recycler Associations;

(g) one representative of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as co-opted by the Chairman of the Steering Committee;

(h) Head of the Concerned Division of the Central Pollution Control Board – Member- Convener.

(2) The steering committee shall be responsible for overall implementation, monitoring and supervision of these rules and it shall also decide upon the disputes arisen from time to time and on representations received in this regard, and shall refer to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change any substantial issue arisen or pertaining to these rules.

(3) The steering committee shall review and revise the guidelines or extended producer responsibility target or addition of new Electrical and Electronic Equipment in Schedule I, in view of the technological advancements and other factors with the approval of the Central Government.

(4) The Steering Committee shall take all such measures as it deems necessary for proper implementation of provisions of these rules.

SCHEDULE - I

[See rules 2, 3 (b), 3 (c), 3 (m), 3 (o), 3 (p), 3 (q), 3 (v), 6, 8, 10 (7), 16 (13)]

Categories of electrical and electronic equipment including their components,consumables, parts and spares covered under the rules

Sl. No.	Categories of electrical and electronic equipment	Electrical and electronic equipment code
(i)	**Information technology and telecommunication equipment**:	
	Centralized data processing: Mainframes, Minicomputers	ITEW1
	Personal Computing: Personal Computers (Central Processing unit with input and output devices)	ITEW2
	Personal Computing: Laptop Computers (Central Processing unit with input and output devices)	ITEW3
	Personal Computing: Notebook Computers	ITEW4
	Personal Computing: Notepad Computers	ITEW5
	Printers including cartridges	ITEW6
	Copying Equipment	ITEW7
	Electrical and Electronic Typewriters	ITEW8
	User terminal and Systems	ITEW9
	Facsimile	ITEW10
	Telex	ITEW11

	Telephones	ITEW12
	Pay telephones	ITEW13
	Cordless telephones	ITEW14
	Cellular telephones	ITEW15
	Answering System	ITEW16
	Products or equipment of transmitting sound, images or other information by telecommunications	ITEW17
	BTS (all components excluding structure of tower)	ITEW18
	Tablets, I-PAD	ITEW19
	Phablets	ITEW20
	Scanners	ITEW21
	Routers	ITEW22
	GPS	ITEW23
	UPS	ITEW24
	Inverter	ITEW25
	Modems	ITEW26
	Electronic data storage devices	ITEW27
(ii)	**Consumer Electrical and Electronics and Photovoltaic Panels:**	
	Television sets (including sets based on Liquid Crystal Display and light Emitting Diode Technology)	CEEW1
	Refrigerator	CEEW2
	Washing Machine	CEEW3
	Air- Conditioners excluding centralised air conditioning plants	CEEW4
	Fluorescent and other Mercury containing lamps	CEEW5
	Screen, Electronic Photo frames, Electronic Display Panel, Monitors	CEEW6
	Radio sets	CEEW7
	Set top Boxes	CEEW8
	Video Cameras	CEEW9
	Video Recorders	CEEW10
	Hi-Fi Recorders	CEEW11
	Audio Amplifiers	CEEW12
	Other products or equipment for the purpose of recording or reproducing sound or images including signals and other technologies for the distribution of sound and image by telecommunications	CEEW13
	Solar panels/cells, solar Photovoltaic panels/cells/modules.	CEEW14
	Luminaires for fluorescent lamps with the exception of luminaires in households	CEEW15
	High intensity discharge lamps, including pressure sodium lamps and metal halide lamps	CEEW16
	Low pressure sodium lamps	CEEW17
	Other lighting or equipment for the purpose of spreading or controlling light excluding filament bulbs	CEEW18
	Digital camera	CEEW19
(iii)	**Large and Small Electrical and Electronic Equipment**	
	Large cooling appliances	LSEEW1
	Freezers	LSEEW2
	Other large appliances used for refrigeration, conservation and storage of food	LSEEW3

IndiaCode

	Clothes dryers	LSEEW4
	Dish Washing Machines	LSEEW5
	Electric cookers	LSEEW6
	Electric stoves	LSEEW7
	Electric hot plates	LSEEW8
	Microwaves, Microwave Oven	LSEEW9
	Other large appliances used for cooking and other processing of food	LSEEW10
	Electric heating appliances	LSEEW11
	Electric radiators	LSEEW12
	Other large appliances for heating rooms, beds, seating furniture	LSEEW13
	Electric fans	LSEEW14
	Other fanning, exhaust ventilation and conditioning equipment	LSEEW15
	Vacuum cleaners	LSEEW16
	Carpet sweepers	LSEEW17
	Other appliances for cleaning	LSEEW18
	Appliances used for sewing, knitting, weaving and other processing for textiles	LSEEW19
	Iron and other appliances for ironing, mangling and other care of clothing	LSEEW20
	Grinders, coffee machines and equipment for opening or sealing containers or packages	LSEEW21
	Smoke detector	LSEEW22
	Heating Regulators	LSEEW23
	Thermostats	LSEEW24
	Automatic dispensers for hot drinks	LSEEW25
	Automatic dispensers for hot or cold bottles or cans	LSEEW26
	Automatic dispensers for solid products	LSEEW27
	Automatic dispensers for money	LSEEW28
	All appliances which deliver automatically all kinds of products	LSEEW29
	Indoor air purifier	LSEEW30
	Hair dryer	LSEEW31
	Electric shaver	LSEEW32
	Electric kettle	LSEEW33
	Electronic display panels/board/visual display unit	LSEEW34
(iv)	**Electrical and Electronic Tools (With the exception of large- Scale Stationary Industrial Tools)**	
	Drills	EETW1
	Saws	EETW2
	Sewing Machines	EETW3
	Equipment for turning, milling, sanding, grinding, sawing, cutting, shearing, drilling, making holes, punching, folding, bending or similar processing of wood, metal and other materials	EETW4
	Tools for riveting, nailing or screwing or removing rivets, nails, screws or similar uses	EETW5
	Tools for welding, soldering, or similar use	EETW6
	Equipment for spraying, spreading, dispersing or other treatment of liquid or gaseous substance by other means	EETW7
	Tools for mowing or other gardening activities	EETW8

IndiaCode

(v)	**Toys, Leisure and Sports Equipment**	
	Electrical trains or car racing sets	TLSEW1
	Hand-held video games consoles	TLSEW2
	Video games	TLSEW3
	Computers for biking, diving, running, rowing, etc.	TLSEW4
	Sports equipment with electric or electronic components	TLSEW5
	Coin slot machines	TLSEW6
(vi)	**Medical Devices (With the Exception of All Implanted and Infected Products)**	
	Radiotherapy equipment and accessories	MDW1
	Cardiology equipment and accessories	MDW2
	Dialysis equipment and accessories	MDW3
	Pulmonary ventilators and accessories	MDW4
	Nuclear Medicine Equipment and accessories	MDW5
	Laboratory equipment for in vitro diagnosis and accessories	MDW6
	Analysers and accessories	MDW7
	Magnetic Resonance Imaging (MRI), Positron Emission Tomography (PET) Scanner, Computed Tomography (CT) Scanner, & Ultrasound Equipment along with accessories	MDW8
	Fertilization tests equipment and accessories	MDW9
	Other electric appliances/equipment/kits used for preventing, screening, detecting, monitoring, evaluating, reviewing, examining, investigating, probing, treating illness sickness, disease, disorder, affliction, infection, injury, trauma, abuse or disability including the Mobiles, Tablets or any other device with the features having the potential of sex selection and their accessories	MDW10
(vii)	**Laboratory Instruments**	
	Gas analyser	LIW1
	Equipment having electrical and electronic components	LIW2

SCHEDULE - II

[See rules 16(3), 16(4), 16(13)]

Applications, which are exempted from the requirements of sub-rule (1) of rule 16	
Sl. No.	**Substance**
1.	Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (perburner):
(a)	for general lighting purposes <30 W : 2.5 mg
(b)	for general lighting purposes ≥ 30 W and <50 W : 3.5mg
(c)	for general lighting purposes ≥ 50 W and <150 W : 5mg
(d)	for general lighting purposes ≥150 W : 15 mg
(e)	for general lighting purposes with circular or square structural shape and tubediameter ≤17 mm : 7mg
(f)	for special purposes:5 mg
2.(a)	Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes not exceeding (per lamp):
(1)	Tri-band phosphor with normal life time and a tube diameter < 9mm (e.g.T2): 4mg
(2)	Tri-band phosphor with normal life time and a tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (e.g. T5): 3 mg

(3)	Tri- band phosphor with normal life time and a tube diameter >17 mm and ≤ 28 mm(e.g. T8): 3.5 mg
(4)	Tri-band phosphor with normal life time and a tube diameter >28 mm (e.g. T12):3.5 mg
(5)	Tri-band phosphor with long life time (≥25000 h):5mg
2.(b)	Mercury in other fluorescent lamps not exceeding(per lamp):
(1)	Linear halophosphate lamps with tube >28 mm (e.g. T 10 and T12):10 mg
(2)	Non-linear halophosphate lamps(all diameters):15mg
(3)	Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter >17 mm(e.g.T9):15 mg
(4)	Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. inductionlamps):15mg
3.	Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescentlamps (CCFL and EEFL)for special purposes not exceeding (per lamp):
(a)	Short length(≤ 500 mm):3.5mg
(b)	Medium length(>500 mm and≤1500 mm): 5mg
(c)	Long length(>1500 mm): 13mg
4.(a)	Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp): 15mg
(b)	Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner)in lamps with improved colour renderingindex Ra>60:
(b)-I	P ≤155 W : 30 mg
(b)-II	155 W < P ≤405 W : 40 mg
(b)-III	P >405 W: 40 mg
(c)	Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner):
(c)-I	P≤155 W:25mg
(c)-II	155 W < P ≤ 405 W:30 mg
(c)-III	P >405 W:40 mg
(d)	Mercury in High Pressure Mercury (vapour) lamps (HPMV)
(e)	Mercury in metal halide lamps (MH)
(f)	Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Schedule
5.(a)	Lead in glass of cathode ray tubes
(b)	Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0.2% by weight
6.(a)	Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanized steel containing up to 0.35% lead by weight
(b)	Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0.4% lead byweight
(c)	Copper alloy containing up to 4% lead by weight
7.(a)	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead)
(b)	Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission, and network management for telecommunications
(c)	Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices, or in aglass or ceramic matrix compound.
(d)	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or250 V DC or higher

IndiaCode

(e)	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125V AC or 250 V DC
8.(a)	Cadmium and its compounds in one shot pellet type thermal cut-offs
(b)	Cadmium and its compounds in electrical contracts
9.	Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75% by weight in the cooling solution
(a)	Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration (HVACR) application.
10.(a)	Lead used in C-press compliant pin connector systems
(b)	Lead used in other than C-press compliant pin connector systems
11.	Lead as a coating material for the thermal conduction module C- ring
12.(a)	Lead in white glasses used for optical applications
(b)	Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards.
13.	Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 80% and less than 85% by weight
14.	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages.
15.	Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes
16.	Lead halide as radiant agent in high intensity discharge (HID) lamps used forprofessional reprography applications.
17.(a)	Lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) of discharge lamps when used as specialty lamps for diazoprinting reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ($(Sr, Ba)_2Mg Si_2O_7$:Pb)
(b)	Lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors suchas BSP ($Ba Si_2O_5$:Pb)
18.	Lead with PbBiSn-Hg and PblnSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact energy saving lamps (ESL)
19.	Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid Crystal Displays (LCDs)
20.	Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels onglasses, such as borosilicate and soda lime glasses
21.	Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65 mm and less
22.	Lead in solders for the soldering to machine through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors
23.	Lead oxide in surface conduction electron emitter displays (SED) used instructural elements, notably in the seal frit and frit ring.
24.	Lead oxide in the glass envelope of black light blue lamps
25.	Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers
26.	Lead bound in crystal glass
27.	Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB(A) and more

MadiaBook

28.	Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting)
29.	Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser tubes
30.	Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 µm diameter and less in power transformers
31.	Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements
32.	Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC plasma displays with acontent up to 30 mg per display
33.	Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body
34.	Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on aluminium bonded beryllium oxide
35.	Cadmium in color converting II-VI LEDs (<10 µg Cd per mm^2 of light-emitting area) for use in solid state illumination or display systems.

SCHEDULE - III

[See rules 3(m), 6(2), 13(1), 13(2)]

Sl. No.	Year (Y)	E-Waste Recycling Target (by weight)
1.	2023 -2024	60% of the quantity of an EEE placed in the market in year Y-X, where 'X' is the average life of that product
2.	2024 -2025	60% of the quantity of an EEE placed in the market in year Y-X, where 'X' is the average life of that product
3.	2025 -2026	70% of the quantity of an EEE placed in the market in year Y-X, where 'X' is the average life of that product
4.	2026-2027	70% of the quantity of an EEE placed in the market in year Y-X, where 'X' is the average life of that product
5.	2027-2028	80% of the quantity of an EEE placed in the market in year Y-X, where 'X' is the average life of that product
6.	2028-2029 onwards	80% of the quantity of an EEE placed in the market in year Y-X, where 'X' is the average life of that product

Note: ***(1) E-waste recycling target shall be reviewed and may be increased after the end of year 2028-2029.***

(2) The importers of used electrical and electronic equipment shall have 100% extended producer responsibility obligation for the imported material after end of life, if not re-exported.

(3) E-Waste recycling targets shall not be applicable for waste generated from solar photo-voltaic modules or panels or cells.

SCHEDULE - IV

[See rules 3(m), 6(2), 13(1), 13(2)]

Extended Producer Responsibility targets for producers, who have started sales operations recently, i.e. number of years of sales operations is less than average life of their products mentioned in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time.

Sl. No.	Year	E-Waste Recycling Target (by weight)
1.	2023-2024	15% of the sales figure of financial year 2021-22
2.	2024-2025	20% of the sales figure of financial year 2022-23
3.	2025-2026 onwards	20% of the sales figure of the financial year two years back

Note: (1) Once the number of years of sales operation equals the average life of their product mentioned in the guidelines issued by Central Pollution Control Board, their extended producer responsibility obligation shall be as per Schedule-III.

(2) E-Waste recycling targets shall not be applicable for waste generated from solar photo-voltaic modules or panels or cells.

SCHEDULE - V

[See rule (17)]

LIST OF AUTHORITIES AND COPRRERSPONDING DUTIES

Sl. No.	AUTHORITY	COPRRERSPONDING DUTIES
1.	Central Pollution Control Board	(1) Operation and maintenance of Extended Producer Responsibility Portal and monitoring of Extended Producer Responsibility compliance. (2) Coordination with State Pollution Control Boards (3) Prepare and issue guidelines and Standard Operating procedures for collection, storage, transportation, segregation, refurbishment, dismantling, recycling and disposal of e-waste under these rules from time to time, and also issue necessary Forms/ Returns for implementation of these rules. (4) Conduct random check for ascertaining compliance of the e-waste rules and may take help of Customs/State Government or any other agency (ies). (5) Documentation, compilation of data on e-waste and uploading on websites of Central Pollution Control Board. (6) Actions against violation of these rules. (7) Conducting training programmes to develop capacity including State Pollution Control Boards and Urban Local Bodies officials. (8) Conducting awareness programmes on e-waste management, RE/CE label, legislation to make consumers responsible towards product usage and safe disposal. (9) Integrate all stakeholders with the centralized digital system. (10) Submit Annual Report to the Ministry. (11) Enforcement of provisions regarding reduction in use of hazardous substances in manufacture of electrical and electronic equipment. (12) Interaction with IT industry for reducing hazardous substances. (13) Set and revise targets for compliance to the reduction in use of hazardous substance in manufacture of electrical and electronic equipment from time to time. (14) Ensure RoHS compliance and its certifications through a recognized lab and its mandatory checks. (15) Any other function delegated by the Ministry under these rules from time to time.
2.	State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees of Union territories	(1) Inventorisation of e-waste. (2) Monitoring and compliance of Extended Producer Responsibility as directed by Central Pollution Control Board. (3) Conduct random inspection of recycler and refurbisher and monitoring recycling capacity utilization.

		(4) Implementation of programmes to encourage environmentally sound recycling. (5) Any other function delegated by the Ministry/ Central Pollution Control Board under these rules.
3.	Responsibilities of Local Bodies (Urban and Rural).	(1) To ensure that e-waste if found to be mixed with Municipal Solid Waste is properly segregated, collected and is channelised to registered recycler or refurbisher. (2) To ensure that e-waste pertaining to orphan products is collected and channelized to registered recycler or refurbisher. (3) To facilitate setting up e-waste collection, segregation and disposal systems. (4) Conducting training sessions to develop capacities of the urban and rural local bodies.
4.	Responsibilities of Port authority under Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and Customs Authority under the Customs Act, 1962 (52 of 1962).	(1) Verify the import or export with respect to Extended Producer Responsibility under these rules. (2) Inform Central Pollution Control Board of any illegal traffic for necessary action. (3) Take action against importer for violations under theIndian Ports Act, 1908 or the Customs Act, 1962.
5.	Responsibilities of Bureau of Indian Standards/ Ministry of Electronics and Information Technology	To issue standards for refurbished products. Bureau of Indian Standards/ Ministry of Electronics and Information Technology shall also develop guidelines for refurbishers with respect to Compulsory Registration Scheme.

[F. No. 12/136/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.02 22:29:56 +05'30'